पत्र सं०-को०प्र०/विविध-17/2018...9138...

सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्ति 286 17 .. 15798(1)

JS (IAS)

**बिहार सरकार**

**वित्त विभाग**

**आदेश**

**आदेश-** ..........................  पटना, दिनांक- 14/12/2018

राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, उनके वेतन से भविष्य निधि में कटौती की गयी राशि राज्य में संधारित उनके जी०पी०एफ० खाता में जमा की जाती है। उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट/महालेखाकार के माध्यम से प्राप्त करने में समय लगता है। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अन्य सरकार को दी जाने वाली राशि NEFT/RTGS के माध्यम से बैंक खाते में ही अंतरित की जाय।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार राज्य में कोई व्यवस्था लागू नही की गयी है। इसलिए भारत सरकार में प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की जी०पी०एफ० की राशि ससमय उनके पी०जी०एफ० खाते में जमा नही हो पा रही है।

US (IAS)

इस हेतु निम्नांकित व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है :-

1. जी0पी0एफ0 निदेशालय के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना में एक खाता खोला जाय। भारत सरकार द्वारा उक्त बैंक खाते में राशि NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करायी जायेगी।
2. भारत सरकार के संबंधित डी०डी०ओ०/पी०ए०ओ० द्वारा कटौती की विवरणी जी0पी0एफ0 निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. जी0पी0एफ0 निदेशालय द्वारा शीघ्र चेक के साथ एक चालान के द्वारा राशि मुख्य शीर्ष- 8009 में जमा करायी जायेगी।
4. चालान एवं प्राप्त कटौती विवरणी के अनुरूप जी0पी0एफ0 निदेशालय द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के जी0पी0एफ0 खाते में उनकी कटौती राशि की प्रविष्टि की जायेगी।
5. कार्य का निष्पादन शीघ्र करने हेतु जी0पी0एफ0 निदेशालय में विशेष व्यवस्था की जायेगी ताकि राशि एवं कटौती विवरणी प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर में संबंधित जी0पी0एफ0 खाता को अपडेट कर दिया जाय।
6. बैंक खाता में प्राप्त होने वाली राशि का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा ताकि इसमें कभी भी तीन दिन से अधिक राशि संचित नहीं रहे।

इसमें प्रधान सचिव, वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13.12.2018

(कामेश्वर ओझा)

संयुक्त आयुक्त(मुख्या)।

26/12

(2) (285)
सामान्य प्रशाखा

ज्ञापांक- [illegible]-17/2018..9138....पटना, दिनांक 14.12.2018

[illegible] सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रधान [illegible]/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पट[illegible]शक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.12.2018

(कामेश्वर ओझा)

संयुक्त आयुक्त(लेखा) ।

<u>ई–मेल</u>

**<u>बिहार सरकार</u>**

**<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>**

***

**ज्ञापांकः 1/वि0–1004/2015–सा0 प्र0– 63 /पटना–15, दिनांकः 02 जनवरी, 2019**

प्रतिलिपिः– बिहार संवर्ग के सभी भा0प्र0से0 पदाधिकारिगण/अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02.01.19

**(कन्हैया लाल साह)**

**सरकार के अवर सचिव ।**